



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश)
नियम-पुस्तिका
संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक
के चयन के लिये
(कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट द्वारा)
(2025-26)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.), मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत **संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक (District Early Intervention Manager)** के पद के लिए एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. **संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक** के 06 संविदा रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक (District Early Intervention Manager) के 06 पद का विवरण :-

पदनाम	कुल पद	अनारक्षित (27%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		रिक्तियों में से म.प्र. की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों है आरक्षित पदों की संख्या (6%)			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5 %	बहरे कम सुनने वाले) 1.5 %	(लोको मोटर डिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	(ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविध दिव्यांगता) 1.5 %
संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक	06	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	-	-	1	-

- निशक्तजन के लिये संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक के रिक्तियों में से 01 पद निःशक्त के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा और ऑनलाईन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिये कृपया करे <http://www.nhmmp.gov.in/> अथवा www.mponline.gov.in <http://iforms.mponline.gov.in> वेबसाइट पर जाए।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक	19/12/2025
आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक	24/12/2025
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक	07/01/2026
आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की अंतिम दिनांक	08/01/2026

2. शैक्षणिक और अन्य पात्रताएँ:

- **Essential Qualifications: -**

Full Time Master in Public Health.(Open/Distance learning not Applicable).

or

Full Time PG Diploma in Health Management/HealthAdministration. (Any of the Above) (Open/Distance learning not Applicable)

And

PGDCA / DCA / B.Sc in Computer Science / Bachelor in Computer Application (BCA) from a recognized University.

- **Work Experience[Essential]-**

Minimum 3 years Post Qualification Managerial experience in Government / Non-governmental/Private Organization in Health Sector anywhere in India.

2.1 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे:-

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12 वीं परीक्षा की अंकसूची।
- कंडिका 2 में वर्णित आवश्यक अर्हताओं से संबंधित अंकसूची, अनुभव प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 07-11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। (आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) वैध रहेगा।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।

नोट:- आवेदक आवेदन/वॉछित अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित समस्त जानकारीयों का स्वयं परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही फार्म को अपलोड करें, जिससे कि त्रुटि की संभावना नगण्य रहे।

2.2 आयु की गणना के लिये संदर्भ तिथि 01/01/2025.

3 *आयु सीमा:- 21-40 वर्ष (*आयु गणना की संदर्भ तिथि 01/01/2025)

अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेंगे। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त:जन/ महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट

स्पष्टीकरण:- आयु की गणना के लिए 10 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध /संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिये ही होगी, यदि वे मध्यप्रदेश के निवासी हैं।

4. वेतन:-

4.1 संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक (District Early Intervention Manager) 36200/-प्रतिमाह।

5. आरक्षण नियम:-

5.1 मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और आयु में छूट केवल मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी।

5.2 केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिये पात्र होंगे।

6. आवेदन प्रक्रिया:-

6.1 उम्मीदवारों को दिनांक 07/01/2026 तक एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

6.2 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

6.3 आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिह्नित] प्रदान करना आवश्यक है।

6.4 आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

6.5 आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाईन सफलतापूर्वक जमा किए गये हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है" आधे भरे हुये आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.6 एक बार ऑनलाईन फार्म जमा हो जाने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जॉच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जॉच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिये जायेंगे। जॉच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाईन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जॉच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जॉच टिप्पणी बदल सकती है।

6.7 सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एस.सी.,एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस,पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिये अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा।

- 6.8 विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:—
- (क) बहरे कम सुनने वाले।
 - (ख) लोकोमीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्क्युलर डिस्ट्राफी।
 - (ग) ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यंगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता।
- (6.9) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. **चयन प्रक्रिया:—**
- 7.1 उक्त पद पर चयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एमसीक्यू (MCQs) आधारित ऑनलाईन लिखित परीक्षा (ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा।
- 7.2 विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए पाठ्यक्रम के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी।
- 7.3 परीक्षा केन्द्र / शहरी भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों/शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 7.4 **उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिये केन्द्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। केन्द्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा:—**
- (क) केन्द्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केन्द्र प्राथमिकताएँ।
 - (ख) प्राथमिकताएँ और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद एम पी ऑनलाईन द्वारा केन्द्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
- 7.5 ई-एडमिट कार्ड को एम.पी. ऑनलाईन की आधिकारिक वेबसाइट, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड [http:// www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) एवं <http://ifforms.mponline.gov.in> पर परीक्षा तिथि के सात(7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एम.पी. ऑनलाईन अथवा एन.एच.एम. की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी।
- 7.6 परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंक नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंको को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।
- 7.7 ऑनलाईन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे **40% For UR, 36% For EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and ST** मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा।
- 7.8 उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में **मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र.** आवश्यक रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरियता दी जायेगी:—
- (i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरियता दी जाएगी।
 - (ii) एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर, उक्त पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।
- 7.9 परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है।

- यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है , तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिये।
- 7.10 उम्मीदवार को नियमों और चयन मापदण्डों का अवलोकन करना चाहिये और पद के लिये आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है तो, इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।
- 7.11 **निर्हिता/अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार:-**
1. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
 2. प्रतिरूपण किया जाना।
 3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
 4. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
 5. रूपान्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
 6. किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना।
 7. अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
 8. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ को कोई धमकी दी जाना।
 9. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाना।
 10. पुरुष अभ्यर्थी / महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो।
 11. कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित संतान हुई हो।
 12. अभ्यर्थी जिस पर अपराधिक मामला लम्बित है या दण्डित किया गया हो।
8. **स्थान आवंटन:-**
- 8.1 मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा।
- 8.2 उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरान्त **पदों की पूर्ति हेतु च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी**, पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फार्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।
- 8.3 ऑनलाईन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि "मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि उपरोक्त स्थान वरीयता का विवरण ,केवल सूचना के उद्देश्य से मांगे जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम म.प्र. के द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।
9. **दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:-**
- (क) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) द्वारा किया जायेगा।
 - (ख) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण आदि) भरते समय पूछे गये थे।
 - (ग) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नहीं है, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।
 - (घ) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।

(ड) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

10. अन्य निर्देश और दिशा निर्देश:-

10.1 चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और छाया प्रति को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:-

- (क) 10वीं या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुये पाठ्यक्रम की वार्षिक/सेमेस्टर वार मार्कशीट।
- (ख) नवीनतम पासपोर्ट साईज की दो तस्वीरें।
- (ग) मध्यप्रदेश के उपमंडल अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।
- (घ) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।
- (ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र (जिला बोर्ड से) प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- (च) उक्त पदों पर चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।
- (छ) उपरोक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/आंतरिक **संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक** के लिये लागू होंगे।
- (झ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा और उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (अ:) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- (ट) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-11/2019/आप्र/ 1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।

11. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

11.1 संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के प्रचलित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 के अनुरूप होंगी।

12 चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

13. परिभाषाएँ:-

13.1 " चयन परीक्षा" का अर्थ संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है।

परिशिष्ट-1

संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक के कार्यदायित्व

प्रति दिवस कार्य— DEIC में उपचार हेतु आने वाले पंजीकृत बच्चों की संख्या न्यूनतम 22 प्रतिदिन एवं 500 प्रतिमाह

रिपोर्टिंग अधिकारी — मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- चिन्हांकित बच्चों के जिले एवं जिले के बाहर कराये गये कुल सर्जरी की संख्या (60 प्रति माह) (720 वार्षिक) एवं चिन्हांकित बच्चों के उपचार/सर्जरी हेतु मेडिकल कॉलेज एवं आयुष्मान भारत अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय से समन्वय कर उपचार/सर्जरी हेतु रेफर करना ।
- विकासखण्ड स्तर से भेजे गये चिन्हांकित समस्त बच्चों के उपचार हेतु जिले में समन्वय स्थापित करना एवं उसका रिकार्ड संधारण करना एवं फॉलोअप कराना ।
- नवजात शिशु गहन चिकित्सा ईकाई (SNCU) से डिस्चार्ज बच्चों का डी.ई.आई.सी. में शतप्रतिशत पंजीयन कर परीक्षण चिकित्सा अधिकारी से कराना एवं 03 माह की लाइन लिस्टिंग मोबाइल हेल्थ टीम को प्रदान कर उन बच्चों का फॉलोअप लेना ।
- जिले के समस्त प्रसव केन्द्रों पर बर्थ डिफेक्ट का पंजीयन प्रारंभ कराना एवं पंजीकृत बर्थ डिफेक्ट के बच्चों की लाइन लिस्टिंग प्राप्त कर डी.ई.आई.सी. में पंजीयन कराना एवं पंजीयन उपरांत उनका समय-सीमा में उपचार कराना ।
- मोबाइल हेल्थ टीम के द्वारा विकासखण्ड के जिस स्कूल में स्क्रीनिंग की जावेगी, वहाँ बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी जानकारी प्रदान करवाया जाना। 15 स्कूल प्रति माह प्रति दल (वार्षिक न्यूनतम 180 स्कूल प्रति दल)
- मोबाइल हेल्थ टीम भ्रमण हेतु माइक्रोप्लान ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक विकासखण्ड हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर बनाने की जिम्मेदारी डी.ई.आई.एम. की होगी ।
- माइक्रोप्लान अनुसार मोबाइल हेल्थ टीम का ग्राम स्तर पर भ्रमण एवं स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराना ।
- जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक को जिला टीकाकरण अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित कर टीकाकरण अधिकारी के भ्रमण कार्यक्रम अनुसार प्रति माह न्यूनतम 08 विजिट कर गूगल फार्म के माध्यम से चैकलिस्कट में जानकारी राज्य कार्यालय को प्रेषित किये है ।
- श्रवण बाधित बच्चों के प्रकरण तैयार कर उन्हें मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना के अंतर्गत स्वीकृति हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के कार्यालय में स्वीकृति हेतु प्रेषित करना एवं स्वीकृति उपरांत चिन्हांकित बच्चे को कॉकिलयर इम्प्लांट हेतु संबंधित संस्था में भेजा जाना ।
- विकासखण्ड अधिकारी से प्राप्त मासिक उपस्थिति पत्रक को उपलब्धी अनुसार स्वयं एवं नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक ईकाई में देना तथा कार्यरत समस्त मानव संसाधन को मासिक मानदेय का भुगतान माह के प्रथम सप्ताह में किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

- 4डी के चिन्हांकित बच्चों की सामुदायिक स्तर पर मृत्यु की सूचना मिलने पर उनका डेथ ऑडिट विकासखण्ड अधिकारी के माध्यम से कराकर, रिपोर्ट नोडल अधिकारी के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एवं राज्य स्तर पर प्रेषित करना ।
- जिला स्तर पर आर.बी.एस.के. के सफल क्रियान्वयन हेतु अन्य सहयोगी विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना। (शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग)
- गंभीर बीमारी से पीड़ित सर्जरी हेतु चिन्हांकित बच्चों को उच्च स्तरीय संस्थान में उपचार हेतु भेजा जाना सुनिश्चित किया जाना ।
- नियंत्रणकर्ता अधिकारी/राज्य स्तर से दिये गए अन्य निर्देश अनुरूप समय-समय पर आंशिक कार्यो का निष्पादन करना ।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना ।
- राज्य स्तरीय निर्देश अनुरूप कार्यक्रम के नियोजन हेतु जिले के अन्य पदाधिकारियों के साथ समन्वय करना ।
- जिला स्तरीय/त्रैमासिक समन्वय बैठकों के लिए नियोजन एवं आवश्यक समन्वय करना ।
- विकासखण्ड तथा उप विकासखण्ड स्तरीय गतिविधियों का फेसिलिटेशन करना ताकि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रभावी संपादन किया जा सके ।
- कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन करना एवं इस हेतु आवश्यक निगरानी करना ।
- जिला स्तर पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा जिला शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र हेतु क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण करना ।
- कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों का दस्तावेजीकरण करना ।
- भारत सरकार द्वारा निर्मित आर.बी.एस.के. पोर्टल पर शतप्रतिशत डाटा एंट्री कराया जाना ।
- समस्त मोबाइल हेल्थ टीमो को आवंटित किये गए डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर द्वारा 100 टेस्ट प्रति दिन प्रति दल (कुल 22 कार्यदिवस)किया जाना सुनिश्चित करना ।
- राज्य स्तर पर प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित किया जाना एवं समय-समय पर राज्य से चाही गयी जानकारी समय-सीमा में ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना सुनिश्चित करना ।
- **राज्य स्तर पर प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट, जैसे –**
 - डी.ई.आई.सी.की रिपोर्ट हैतू निर्धारित प्रपत्र प्रतिमाह 5 तारीख तक ।
 - कार्यरत मानव संसाधन की जानकारी विकासखण्डवार त्रैमासिक एवं बदलाब की स्थिति में ।
 - डी ई आई सी चेकलिस्ट रिपोर्ट
 - आर.बी.एस.के. अंतर्गत मोबाइल हेल्थ टीम रिपोर्ट प्रतिमाह ।
- फॉर्म नंबर 2 आशा एचबीएनसी रिपोर्ट ।
- फॉर्म नंबर 3 मोबाइल हेल्थ टीम रिपोर्ट ।
- फॉर्म नंबर 4 स्कीनिंग किये गए बच्चो की रिपोर्ट ।
- फॉर्म नंबर 5 सर्विस एक्सेस रिपोर्ट ।
- सेकेंडरी एवं टर्शरी केयर संकलित रिपोर्ट व सी.एन.एस. रिपोर्ट व सर्जरी कराये गये बच्चों की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह नामवार ।
- इसके अतिरिक्त राज्य स्तर से जारी दिशा निर्देशानुसार अन्य आवश्यक कार्य ।

परिशिष्ट-2

संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक रिक्त पद

Sno	District Name	Vacant
1	Anuppur	1
2	Ashoknagar	1
3	Dindori	1
4	Harda	1
5	Jhabua	1
6	Panna	1
Total		6